न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2025/26 जी.सी.एम.एस. नं. 10/2025

सरकार जरिये रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री रमेशकुमार पुत्र किशनलाल वार्ड नं. 11 अनूपगढ़(मिढ्ढा टी स्टॉल)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए

–:निर्णय:– दिनांक 19.08.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 19.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ स्थित फर्म/होटल, मिढ्ढा टी स्टॉल अम्बेडकर चौक पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म मिढ्ढा टी स्टॉल पर श्री रमेश कुमार पुत्र किशन लाल वार्ड न. 11 अनूपगढ़ मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया।

श्री रमेश कुमार की उपस्थिति मे मिढ्ढा टी स्टॉल अनूपगढ़ की जांच मे पाया कि इस प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए मिढ्ढा टी स्टॉल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा पाया गया तथा एक अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखा पाया गया जो कि भट्टी/चुल्हे से जुडा नही था। उक्त दोनो घरेलु गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये।

श्री रमेश कुमार ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने में व्यवसायिक कार्य मे उपयोग किया जाना बताया। श्री रमेश कुमार द्वारा उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर कहा से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नही दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री रमेश कुमार के पास नही मिला।

फर्म मिढ्ढा टी स्टॉल, अम्बेडकर चौक अनूपगढ़ पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी, अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गल्होत्रा पुत्र श्री मुस्ताक राय उम्र 55 जाति अरोडा निवासी वार्ड न. 01 सूरतगढ़, आधार सख्या 958926289530, मो 9610887491, को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एव सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच मे यह स्पष्ट है कि रमेश कुमार पुत्र किशन लाल वार्ड न. 11, अनूपगढ़ द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक कार्य मे उपयोग किया जा रहा था।

श्री रमेश कुमार पुत्र किशन लाल फर्म मिढ्ढा टी स्टॉल अम्बेडकर चौक अनूपगढ़ के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने का कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग), 4 (1) (क) (ग) (2), 6, 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर, को राजसात करने का आदेश फरमायें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामिल होने के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का

15

व्यावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री रमेशकुमार पुत्र किशनलाल वार्ड नं.–11 अनूपगढ़(मिढ़ा टी स्टॉल)** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर को राजसात करना उचित समझते है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ☆ ANUPGARH ☆

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़